

प्रकरण संख्या 189/2017 D.N. 430

शमेश्वर जाट

बनाम

पारचन्द शाहमठ वर्गेश्वर

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 29/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री शमेश्वर जाट ने जरिये आज्ञा पत्र
श्री शाहीश्याम शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल, खाले
खाते की भूमि ग्राम हिजावाप्पिया तह0 थाकड श्वेडी तह0 माण्डलगढ में आराजी न0
548/239, 549/395

किता 2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आज्ञा पत्र
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर्ना
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान आ
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत 2074 के अवलोकन से प्रार्थी पडौसीयान
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसीयान के विवाद कर
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया
ग्राम हिजावाप्पिया में आराजी न0 548/239, 549/395

रकबा बीघा 3 बिस्वा 15 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के
के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जा
कमीशनर फीस 200 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसिलदार
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

